प्रेस विज्ञप्ति

25.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय ने यूएई बैंक से लिए गए ऋण की धनराशि के गबन से संबंधित धन शोधन निवारण मामले (PMLA) के तहत अचल संपत्ति को अटैच करने का अंतरिम आदेश जारी किया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 24.02.2026 को अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसके तहत कासरगोड स्थित सुलेमान सीटी, श्रीमती नफीसाथ ओटी और मुहम्मद सिनान सुलेमान के नाम पर पंजीकृत अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकित कुर्क की गई संपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य लगभग 32 लाख रुपये है।

ईडी ने इन्वेस्ट बैंक पीएससी (यूएई स्थित एक बैंक) के अधिकृत प्रतिनिधि की शिकायत के आधार पर कासरगोड के चंदेरा पुलिस स्टेशन द्वारा आईपीसी की धारा 420, 1860 के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि अब्दुरहीमान चेनोथ थिरुथुम्मल ने अबू धाबी (यूएई) में हेक्सा ऑयल एंड गैस सर्विसेज एलएलसी का संचालन करते हुए, कथित तौर पर झूठे वित्तीय विवरण प्रस्तुत करके और धन के उद्देश्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करके, 2013-2017 के बीच इन्वेस्ट बैंक पीएससी से लगभग 68.159 मिलियन एईडी की ऋण सुविधा प्राप्त की। हालांकि ऋण व्यवसाय विकास के लिए स्वीकृत किया गया था, लेकिन धन का एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर बैंकिंग चैनलों के माध्यम से भारत में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसमें एक्सिस बैंक में उनके एनआरई खाते में हस्तांतरण भी शामिल है।

पीएमएलए के तहत की गई जांच से यह साबित हुआ कि अब्दुरहीमान के एनआरई खाते में अपराध से प्राप्त 4,60,61,357 रुपये की रकम भारत में जमा हुई थी। इसमें से 34,66,787 रुपये अप्रैल 2014 से मार्च 2017 के बीच कई अनियमित किश्तों में उनके भाई सुलेमान सी टी को हस्तांतरित किए गए थे, जिन्होंने पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों में उक्त राशि प्राप्त करने की बात स्वीकार की थी।
आगे यह भी पता चला कि इन निधियों का अधिकांश हिस्सा कासरगोड में एक आवासीय मकान के निर्माण में इस्तेमाल किया गया था। 2022 में, सुलेमान सी टी ने एक विक्रय विलेख निष्पादित करके संपत्ति के बड़े हिस्से को अपनी पत्नी और बेटे को 4,50,000 रुपये के नाममात्र मूल्य पर हस्तांतरित कर दिया। श्रीमती नफीसाथ ओ टी ने अपने बयान में पुष्टि की कोई वास्तविक भुगतान नहीं किया गया था, जिससे संकेत मिलता है कि संपत्ति को संभावित रूप से बचाने के लिए यह हस्तांतरण दिखावटी/बेनामी प्रकृति का था।

इससे पहले, मामले में कुर्की (कुल मिलाकर लगभग 4.55 करोड़ रुपये) की पुष्टि न्याय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा की जा चुकी है, और एर्नाकुलम स्थित माननीय विशेष न्यायालय में अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है।

आगे की जांच जारी है।